न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 99/2018

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थीगण

1. मोबता पुत्र मंगला
2. बाबु पुत्र धोकला
3. सोभा पुत्र इमरता
4. जावता पुत्र इमरता

   जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी नगर तहसील गुड़ामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. साजन पुत्र हासन
2. मोहम्मद पुत्र हासम
3. गफूरखां पुत्र जाम जाति मुसलमान निवासी देशान्तरी नाडी
4. टीकमाराम पुत्र वगता
5. अशोक पुत्र वगता जाति मेगवाल निवासी रावलीनाडी
6. जाम पुत्र अब्दुला के कायम मुकाम–

   6/1 गफूरखां पुत्र जाम जाति मुसलमान निवासी देशान्तरी नाडी
7. लाखा पुत्र गंगा
8. करना पुत्र गंगा
9. कालू पुत्र गंगा
10. नारणा पुत्र गंगा
11. मंगला पुत्र वागाराम
12. पुरखा पुत्र वागाराम
13. खेमी पत्नि वागा
14. गोरखाराम पुत्र देदाराम
15. शेराराम पुत्र देदाराम

    जाति जाट निवासी मुसलमानों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
16. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा मेघा हाईवे गुड़ामालानी
17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणाप्रताप बाजार गुड़ामालानी
18. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :– 1. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04.10.2021

(प्रशासन गावों के संग अभियान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एक [illegible] काश्तकार है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा[illegible] खेत [illegible] रकबा 84.01 बीघा ग्राम देशान्तरीनाडी पटवार [illegible] तहसील गुडामालानी में आया हुआ है। जि[illegible] प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अपने रह[illegible] हेतु ढाणी, टांका व मवे[illegible] बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 24 रकबा 44–10 बीघा, खसरा नम्बर 26/3 रकबा 25–05 बीघा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी में से लगती हुई सड़क तक जाने का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने हेतु अपने

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

पूर्वजों के समय से इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं। प्रार्थी की जोत तक आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। अतः उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में अपलिखित कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील रामजीवन विश्नोई द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई परन्तु लगभग 3 वर्षों से भी अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालातनामा पेश नहीं किया और न्यायालय द्वारा जबाव हेतु पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरान्त भी ना ही किसी प्रकार का जबाव पेश किया। शेष विप्रार्थीगण बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। पत्रावली आज प्रशासन गोवों के संग अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय नया नगर पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। मजमेआम भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। तथा मजमेआम जानकारी ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की उक्त जोत से राजकीय कटान मार्ग तक पहुंचने का एक मात्र यही इकलौता विकल्प है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग दिया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट कमांक–भू.अ./2021/245 दिनांक 10.02.2021 द्वारा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए बरंग ''पीला'' अनुसार सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 23 मौजा देशान्तरी नाडी में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 24 मौजा देशान्तरी नाडी में से लम्बाई 195 गट्ठा चौड़ाई 2 गट्ठा (कुल रकबा 1–00 बीघा भूमि) 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड़, फसल या [illegible] प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी [illegible] पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो **DLC** द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज 1–00 बीघा भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया लम्बाई 195 गट्ठा चौड़ाई 2 गट्ठा (कुल रकबा 1–00 बीघा भूमि) रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक **04.10.2021** को **प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय नया नगर** में दिए जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **04.10.2021** को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested